संख्या- 20/2016/549/61-2016-23/4-2011 निर्वाचन-4)

प्रेषक,

एस0पी0 उपाध्याय,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

निर्वाचन अनुभाग लखनऊ: दिनांक 23 जून , 2016

विषय: मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय, उ0प्र0 में तकनीकी कार्यो में सहयोग प्रदान हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्टाफ की व्यवस्था ।

महोदय

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-542/61-2013 दिनांक 01 जुलाई, 2013 द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुपालन में कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 में तकनीकी कार्यो में सहयोग प्रदान करने हेतु संलग्नक-'क' में उल्लिखित स्टाफ की व्यवस्था आउटसोर्सिंग के माध्यम से न्यूनतम दर पर पारिश्रमिक भुगतान के आधार की गई थी। उक्त शासनादेश दिनांक 01.07.2013 के अनुक्रम में उक्त पदों को शासनादेश संख्या - 12/15/518/61-2015-23/4-2011 निर्वाचन-4) दिनांक 05 अगस्त, 2015 द्वारा दिनांक 01.07.2015 से 30.06.2016 तक शासकीय कार्यो के निष्पादन हेतु बढ़ाई गई थी। पुन: विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2017 के दृष्टिगत उक्त संलग्नक "क" में उल्लिखित पदधारकों की सेवायें दिनांक 01.07.2016 से 30.06.2017 तक लिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृति प्रदान करते है कि उक्त अवधि के पश्चात् प्रश्नगत पदों की कार्यावधि नहीं बढ़ायी जायेगी।

2- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-41 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2015-निर्वाचन आयोजनेत्तर-103-निर्वाचक नामावली तैयार करना एवं मुद्रण-05-निर्वाचन अधिष्ठान व्यय-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान" मद के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-727/दस-2016 दिनांक 21 जून, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(एस0पी0 उपाध्याय)
उप सचिव।

संख्या- 20/2016/549(1)/61-2016-23/4-2011(निर्वाचन-4) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी, निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(एस0पी0 उपाध्याय)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक- 'क'

शासनादेश संख्या- 20/2016/549/61-2016-23/4-2011(निर्वाचन-4), दिनांक 23 जून, 2016 का संलग्नक

क्रमांक	कार्यालय का नाम	पद का नाम	पदों की संख्या
1	2	3	4
1	कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश	सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर/सीनियर प्रोग्रामर	1
		प्रोग्रामर	4
		स्टैटिस्टिकल ऑफिसर	1
		डाटा इन्ट्री आपरेटर	5

(एस0पी0 उपाध्याय)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।